न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 9/2024

GCMS CASE NO-2024/10

1.प्रभुराम पुत्र श्री आदूराम जाति कुम्हार साकिन 32 एमएल हाल 4 जीडीएम उपतहसील राजियासर स्टेशन।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज उपतहसीलदार सूरतगढ।

रेस्पोडेंट

–::निर्णय::–

दिनांक : 14.05.2024

अपील मे सामान्य तथ्य यह है कि ये बानारागी आदेश उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर अन्तर्गत धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई। अपीलांट को चक 4 जीडीएम के मु.न. 1/34 में 2.658 है0 कमांड भूमि पर अपीलांट का सम्वत 1995 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है। उपतहसीलदार राजियासर स्टेशन द्वारा दिनांक 02.12.2014 को प्र.स. 219/2014 सरकार बनाम प्रभुराम में अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया जाकर मालगुजारी का 50 गुणा तावान, खडी फसल नीलाम करने व प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर भूमि बहक सरकार प्राप्त करने की आज्ञापारित की है।

धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट का चक 4 जीडीएम के मु.न. 1/34 में 2.658 है0 कमांड भूमि पर सम्वत 1995 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है। प्रार्थी अपने रकबे पर काश्त कर रहा था दिनांक 29.01.2024 को हल्का पटवारी ने कहा की जैरप्रकरण रकबा आपके खिलाफ मातहत न्यायालय द्वारा बेदखली आदेश पारित किये गये है। इस पर उसी दिन नकल प्रार्थना पत्रपेश किया नकल प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के ये अपील पेश की जा रही है जो जानकारी के अंदर मियाद है। अतः इस आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने में हुई देरी माफी किये जाकर इस अपील का निर्णय मैरिट मे किया जावे।

क्त जिला कलक्टर
(जिला–श्री गंगानगर)
872

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजपैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा बताया गया कि चक 4 जीडीएम के मु.न. 1/34 में 2.658 है0 कमांड भूमि पर सम्वत 1995 रो पूर्व लगातार कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है। लेकिन नियमन प्रकरण से सम्बंधित कोई दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है अतः मियाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित है।

उभय पक्ष की बहस की बहस सुनने पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

तत्पश्चात गुणवगुण के आधारपर बहस सुनी गई वकील अपीलांट श्री रामनारायण जालप ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट को चक 4 जीडीएम के मु.न. 1/34 में 2.658 है0 कमांड भूमि को पीठ पीछे कब्जा दिखाकर अपीलांट को बिना कोई नोटिस तामील के एक तरफा कार्यवाही करके चक 4 जीडीएम के मु.न. 1/34 में 2.658 है0 कमांड भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त दिखाकर अपीलांट को अवैध अतिक्रमी मानकर खडी फसल कुर्क करने का आदेश दे दिये जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतो के विपरीत है। अपीलांट को चक 4 जीडीएम के मु.न. 1/34 में 2.658 है0 कमांड भूमि पर अपीलांट का सम्वत 1995 से पूर्व लगातार कब्जा काश्त है जिसकी कब्जा काश्त की नियमन की पत्रावली माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष पेश की हुई है। अपीलांट सीधा साधा व भोला भाला अनपढ काश्तकार है परंतु मातहत अदालत ने बिना किसी निशानदेही व बिना किसी जांच के मात्र वर्तमान पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के अपने नियमन पत्रावली के रकबा की काश्त को नाजायज काश्त मानकर जैर अपील आदेश पारित कर दिये है तथा मौका पर फसल वर्षा अभाव में खत्म हो गयी है। अगर फसल कुर्क कर ली जाती है तो अपीलांट व अपीलांट का परिवार भूखे मरने की नोबत पर आ जाएगा । अपील के अनुसार अदालत मातहत ने नैसंर्गिक न्याय व निर्धारित प्रकिया की पालना नही की है। फसलकुन्ता , नीलामी, 50 गुणातावान व बेदखली के गैर कानूनी आदेश पारित किया है ।

पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट प्रभुराम पुत्र आदूराम जाति कुम्हार द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त की गई है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नही किया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उसका हक/हकूक साबित हो सके अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण ही जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। की गई समस्त कार्यवाही नियमानुसार है। अपीलांट अतिक्रमी साबित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर निर्णय दिनांक 22.12.2014 यथावत रखा जावे।

मातहत अदालत का रिकार्ड शामिल पत्रावली हो चुका है। रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त होने पर अपीलांट को नोटिस अन्तर्गत धारा 22 विधिवत रूप से जारी किया गया व अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ है। नोटिस

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

क्त जिला कलक्टर
ढ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

में अपीलांटस को अवसर दिया गया कि वें आगामी निर्धारित तारीख पेशी 28.10.2014 से पूर्व अतिक्रमित भूमि खाली कर देवें। बाद नोटिस तामील होने के उपरांत भी अतिक्रमी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। । उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर द्वारा पारित आदेश नैंसर्गिक न्याय सिद्धांतो व स्थापित विधि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में न होने से आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति पत्रावली में शामिल की जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें। पत्रावली मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.06.24 13:45:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner